22.3.21 पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई।
वकील प्रार्थी उप०/प्रार्थीनी ने जरिये लिखि०
प्रा० पत्र U/S 212 RT Act 1955 पेश कर
निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम सिंखोला
कलां मे स्थित कृषि भूमि ख०नं० 319 रकबा
1.62 हे० प्रार्थीनी की खरीदसुदा खातेदारी की
भूमि है तथा प्रार्थीनी के कब्जे काश्त की
भूमि है। अप्रार्थीगण सं० 1 से 6 प्रार्थीनी के
पारिवारिक सदस्य है तथा प्रार्थीनी महिला
होने व कमजोर होने कारण प्रार्थीनी को
उसकी खातेदारी सुदा कब्जे काश्त की भूमि
से बेदखल करना चाहते है। अप्रार्थीगण
प्रार्थीनी के कब्जे काश्त मे अनाधिकार
दखल कर रहे है, जबकि अप्रार्थीगण सं०
1 से 6 को उक्त भूमि मे किसी प्रकार के
अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। अगर
अप्रार्थीगण सं० 1 से 6 प्रार्थीनी को उसकी
खरीदसुदा खातेदारी भूमि से बेदखल करने
मे सफल हो जाते है तो प्रार्थीनी अपने हक
अधिकारों से हमेशा के लिये वंचित हो
जावेगी तथा भारी क्षति होगी। अतः प्रार्थिया
का प्रा०पत्र स्वीकार किया जावे।

प्रार्थिया [illegible] दर्ज रजिस्टर
किया जाकर अप्रार्थीगण [illegible] वास्ते जवाबदेही

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2021.07.31 15:06:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना हाजिर नहीं होने पर अप्रार्थीगण सं० 1 से 7 के विरुद्ध दिनांक 21.12.2018 को तथा अप्रार्थी सं० 8 के विरुद्ध दिनांक 4.1.21 को एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश किये गये। अधिवक्ता प्रार्थीया की एक पक्षिय बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि राजस्व ग्राम निम्बोला रलां के ख० नं० 319 रकबा 1.62 है० की खातेदारी प्रार्थीया के नाम दर्ज है। अप्रार्थीगण ने बावजूद सूचना के कोई उजर / एतराज पेश नहीं किया है। प्रार्थीया विवादित भूमि की रेकोर्डेड खातेदार है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष मे है। अगर अप्रार्थीगण प्रार्थीया को उसकी खातेदारी शुदा भूमि से बेदखल करने मे सफल हो जाते है तो प्रार्थीया को भारी असुविधा व अपूरणीय क्षति होगी। जबकि अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की असुविधा व क्षति होने की संभावना नही है। अतः तीनो ही बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में है। जिससे प्रार्थीया का प्रा०पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीया का प्रा०पत्र U/S 212 RT Act 1955 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण सं. 1 से 6 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वाद के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम निम्बोला रलां के ख० नं० 319 रकबा 1.62 है० भूमि मे प्रार्थीया के कब्जे काश्त, भोग-उपभोग मे ना तो स्वयं दखलन्दाजी करें तथा ना ही अन्यो से कर[illegible] बेदखल शुमार होकर मूल वाद के [illegible] रहे। पत्रावली नम्बर [illegible] निर्णय हेतु आज हु० [illegible] द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
डेगाना (नागौर)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2021.07.31 15:06:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner